न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलियाआर.ए.एस.
प्रकरण सं0 31/2025दायर दिनांकः 18.02.2025

उनवान

1. महावीर नागर आयु 47 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः21.07.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91आर0 टी0 एक्टएवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम/माल कोटडा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा नं. 56 का रकबा 1.86 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.86 हैक्टर आराजी वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी वादी ने उक्त आराजी के पूर्व खातेदार फूलभंवर पुत्र सूरजमल व उमाशंकर पुत्र सूरजमल नाबालिग जर्ये वली पिता सूरजमल तथा रामावतार पुत्र गंगाराम जातियान धाकड़ निवासीगण अरण्या तहसील अटरू से क्रय कर सब रजिस्ट्रार अटरू के कार्यालय में दिनांक 15/04/1996 को पंजीयन करवाया था। वक्त पंजीयन विक्रय पत्र में वादी का नाम महावीर नागर पुत्र बाबूलाल के स्थान पर डीडराईटर ने त्रुटिवश राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल लिख दिया। जिसके आधार पर ही नामान्तरण दर्ज करते वक्त वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल दर्ज हो गया। नक़ल विक्रय पत्र के साथ संलग्न है हो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम राकेश कुमार दर्ज हो रहा है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम महावीर नागर है। वादी के

दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में वादी का सही नाम महागीर नागर दर्ज है। वादी के उक्त समस्त दस्तावेजात की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। नक़ल जमाबन्दी व वादी के दस्तावेजों में वादी का नाम भिन्न भिन्न होने से वादी को कृषि सम्बंधित सुविधायें लेने व कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है तथा अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने खाते में गलत अंकित हो रहे नाम को दुरुस्त करने बाबत तहसीलदार साहब से दिनांक 15/01/2025 को निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पेश किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 15/01/2025 को वादी द्वारा नाम दुरुस्ती का श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी कोटड़ा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादी महावीर नागर पुत्र बाबूलाल को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादी के नाम को दुरुस्त करते हुए राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल के स्थान पर महावीर नागर पुत्र बाबूलाल का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तहसीलदार अटरू से वाद के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1130 दिनांक 25.04.2025 से पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 महावीर नागर पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी बहादुरगंज, Pw2 हरिशंकर पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी बहादुरगंज, Pw3हीरालाल पुत्र धन्नालाल जाति लुहार निवासी बहादुरगंज, Pw4जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा शपथ पत्रPw1 के सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कोटडा खाता संख्या 130 सम्वत 2071–2074 (प्रदर्श–1), आधार कार्ड (प्रदर्श–A2), मतदाता पहचान पत्र, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.04.1996 (प्रदर्श–A3), प्रशासक ग्राम पंचायत चरडाना प्रमाण पत्र (प्रदर्श–4), नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कोटडा खाता संख्या 130 सम्वत 2071–2074 (प्रदर्श–5) व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम व माल कोटडा के खाता संख्या 130 ख0नं0 56 का रकबा 1.86 है0 राकेश पुत्र बाबूलाल जाति धाकड सा बहादुरगंज खाता दर्ज रिकार्ड है। क्रेता द्वारा रजिस्ट्री में नाम राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल लिखवाया गया एवं नामान्तकरण संख्या 47 से क्रेता राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल के नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया। उक्त क्रेता का आधार कार्ड, वोटर आई.डी. में महावीर नाम दर्ज है तथा महावीर को गांव में राकेश के नाम से जानते है।

जमाबन्दी ग्राम कोटडा पटवार हल्का चरडाना सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 130 के ख0 नं0 56 का रकबा 1.86 है0 में राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल हिस्सा पूर्ण जाति धाकड सा. बहादुरगंज खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र (प्रदर्श–4) के अनुसार वादी का सही नाम महावीर प्रसाद पुत्र बाबूलाल है तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार भी क्रेता राकेश कुमार का आधार कार्ड, वोटर आई.डी. में महावीर नाम दर्ज है तथा महावीर को गांव में राकेश के नाम से जानते है।

साक्ष्यवादी Pw1 महावीर नागर पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी बहादुरगंज, Pw2 हरिशंकर पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी बहादुरगंज, Pw3 हीरालाल पुत्र धन्नालाल जाति लुहार निवासी बहादुरगंज, Pw4 जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू ने वादी का सही नाम महावीर नागर पुत्र बाबूलाल होना बताया है। विवादित आराजी ग्राम व माल कोटडा के खाता संख्या 130 के ख0नं0 56 का रकबा 1.86 है0 का पूर्ण हिस्सा वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों, दस्तावेजों के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम व माल कोटडा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा नं. 56 का रकबा 1.86 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.86 हैक्टरआराजी में खातेदार राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल के स्थान पर महावीरउर्फ राकेश कुमार पुत्र बाबूलालकिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।विवादित आराजी ग्राम व माल कोटडा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा नं. 56 का रकबा 1.86 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.86 हैक्टर आराजी में खातेदार राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल के स्थान पर महावीरउर्फ राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक21.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (**R.A.S.**) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 31/2025 दायर दिनांकः 18.02.2025

उनवान

1. महावीर नागर आयु 47 वर्ष पुत्र बाबूलाल जाति धाकड निवासी बहादुरगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज.) वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :-

वादीः- विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल कोटडा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा नं. 56 का रकबा 1.86 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.86 हैक्टर आराजी में खातेदार राकेश कुमार पुत्र बाबुलाल के स्थान पर महावीर उर्फ राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 21.07.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)